राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 5(ट–29)कोष / 2019–20 / 2054 / 297-337 दिनांकः– 04/04/19

1. समस्त कोषाधिकारी
   राजस्थान।

2. भुगतान एवं लेखाधिकारी,
   बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़,
   नई दिल्ली।

विषयः– माँग संख्या 25 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "2054–00–097–(05)–(01) खजाना स्थापना में वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न विस्तृत मदों में बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग के पत्र संख्या प.4(1)वित्त–1(1) / आ.व्यय / 2019 दिनांक 27 मार्च 2019 के अनुसार राजस्थान विधानसभा द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु माह अप्रेल से जुलाई 2019 के लिए लेखानुदान की मांगों तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग लेखा (संख्या 4) विधेयक 2019 को पारित कर दिया गया है। निम्न अंकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह अप्रेल से जुलाई 2019 के लिए नियमानुसार आवंटित बजट का उपयोग किया जावे। (आवंटन प्रति संलग्न)।

1. बजट शीर्ष "2054–00–097–(05)–(01) खजाना स्थापना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न उपमदों में बजट आवंटन संलग्न परिशिष्ठानुसार किया जाता हैं। राज्य सरकार एवं इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटित बजट का उपयोग किया जावें।
2. यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय एवं कार्यालय व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावें। मार्च 2019 तक के यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा बिलों के समस्त लंबित प्रकरणों का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जावें एवं इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित किया जावें। चिकित्सा व्यय मद के अन्तर्गत आवंटित बजट में विशेष प्रकरणों सहित नियमानुसार व्यय किया जावें।
3. प्रत्येक माह का मासिक व्यय मानचित्र, उपमदवार अलग–अलग तैयार कर इस विभाग को मासिक लेखो के साथ यथा–समय भिजवाया जावें। व्यय मानचित्र आई.एफ.एम.एस. व राजकोष से मिलान कर ही प्रेषित किया जावें।
4. आंवटित बजट का उपयोग आनुपातिक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें ताकि व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रह सकें।

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

5. अंक मिलान के समय पाया गया है कि वाउचर्स पर संबंधित व्यय मद की मोहर पूर्णत एवं स्पष्ट अंकित नही की जाती है जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय में सही मद में व्यय बुक नहीं हो पाता। अतः यह सुनिश्चित किया जावें कि जिस मद में राशि आहरित की जाये, बिल पर उसी उपमद की मोहर स्पष्टतः अंकित की जावें।

6. कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समस्त उपमदों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर ऑनलाईन आवंटित राशि के अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नही किया जावें। अधिक व्यय करने की स्थिति में संबंधित कोषाधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

7. **मैन विद मशीन, कम्प्यूटर स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जूमेबल, की–बोर्ड/बैट्री एवं कम्प्यूटर रखरखाव पर होने वाले व्ययों का का भुगतान उपमद 62 कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी रखरखाव मद से नियमानुसार किया जावें।**

8. **कार्यालय व्यय में आवंटित राशि से पानी, बिजली एवं टेलिफोन के बिलों का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता से करें।**

9. अपने अधीनस्थ कार्यालयों को किए जाने वाला बजट आवंटन एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन किया जावें।

10. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी "राजकीय व्यय में मितव्ययता" परिपत्रों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 5(ट–29)कोष/2019–20/2054/338–39 दिनांकः– 05/04/19

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. उप निदेशक (आई.टी.) कार्यालय हाजा को डी.टी.ए. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज. जयपुर

बजट मद 2054—00—097—(05)—(01) खजाना स्थापना वित्तीय वर्ष 2018—19 के अन्तर्गत आवंटन

(राशि सहस्त्रों में)

क्र. सं	क्र.सं.	कोषालय	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	36 वाहन किराया	62 कम्प्यूटराईजेशन	कुल योग
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	अजमेर	18300	150	150	500	90	350	19540
2	2	अलवर	21400	250	150	600	90	600	23090
3	3	बांसवाड़ा	7300	100	20	500	90	250	8260
4	4	बांरा	7900	100	20	500	90	200	8810
5	5	बाडमेर	9900	150	20	300	90	600	11060
6	6	ब्यावर	7100	50	20	200	60	200	7630
7	7	भरतपुर	17600	150	150	400	90	450	18840
8	8	भीलवाड़ा	14500	200	80	500	90	500	15870
9	9	बीकानेर	17000	200	50	400	90	350	18090
10	10	बून्दी	8600	100	40	300	90	250	9380
11	11	चित्तौड़गढ़	11100	200	40	500	90	500	12430
12	12	चूरू	13000	150	40	500	90	250	14030
13	13	दौसा	10000	100	50	400	90	200	10840
14	14	धौलपुर	6500	100	40	300	90	250	7280
15	15	डूंगरपुर	6200	100	20	200	80	250	6850
16	16	गंगानगर	15000	200	40	500	90	350	16180
17	17	हनुमानगढ़	10600	100	50	300	90	300	11440
18	18	जयपुर शहर	14000	0	100	450	90	80	14720
19	19	जयपुर ग्रामीण	20000	350	100	700	90	250	21490
20	20	जयपुर सचिवालय	9500	0	200	300	90	600	10690
21	21	जयपुर पेंशन	9600	0	30	300	90	150	10170
22	22	जैसलमेर	4500	60	20	300	90	150	5120
23	23	जालौर	7400	100	20	350	90	250	8210
24	24	झालावाड़	7900	100	40	500	90	200	8830
25	25	झुन्झुनू	14000	150	20	500	90	500	15260
26	26	जोधपुर ग्रामीण	8300	400	40	550	90	100	9480

क्र. सं	क्र.सं.	कोषालय	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	36 वाहन किराया	62 कम्प्यूटराईजेशन	कुल योग
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	27	जोधपुर शहर	15000	50	60	300	90	600	16100
28	28	कोटा	11000	150	20	350	90	250	11860
29	29	करौली	8500	70	20	250	90	400	9330
30	30	नागौर	18000	200	100	500	90	400	19290
31	31	पाली	11000	200	100	600	90	400	12390
32	32	प्रतापगढ़	4000	70	30	250	90	150	4590
33	33	राजसमन्द	6400	120	20	350	90	200	7180
34	34	सवाई माधोपुर	12000	100	40	350	90	400	12980
35	35	सीकर	13000	200	40	450	90	350	14130
36	36	सिरोही	6400	150	40	300	90	200	7180
37	37	टोंक	9500	150	100	400	90	400	10640
38	38	उदयपुर	5800	70	20	200	90	80	6260
39	39	उदयपुर (ग्रा.)	12000	250	30	400	90	450	13220
40	40	नई दिल्ली	1300	15	10	80	60	80	1545
		योग	**431100**	**5355**	**2180**	**15630**	**3530**	**12490**	**470285**